न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 00057/2019

उनवान

1. वनेश्वर पिता अमरजी जाति पटेल निवारी ओडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
2. केसर पत्नि अमरजी जाति पटेल निवारी ओडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थीगण।

बनाम

1. सचिव महोदय, वन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर राजस्थान।
2. जिला वन अधिकारी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. क्षैत्रीय वन अधिकारी रैन्ज गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. राजस्थान राज्य जरिये ज़िला कलक्टर महोदय, बांसवाड़ा (राज.)।
5. तहसीलदार तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: अप्रार्थीगण।

आदेश 21 नियम 11 C.P.C.

निर्णय

दिनांक 30.12.2025

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायलय द्वारा पूर्व निर्णत प्रकरण संख्या 28/2010 उनवान रतनजी बनाम वन विभाग में पूर्व पारित डिकी में पटवार हल्का लोहारिया के मौजा मोटावाडा के गत सर्वे नं. 87/2 रकबा 7 बीघा भूमि के हाल सर्वे नम्बर 78/8200 रकबा 1.12 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया है। जिसका नामान्तरणकरण लम्बित है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर प्रार्थी को खाते में खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड की जाकर राजस्व नक्शे में इस आशय की इन्द्राज दुरस्ती किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 21 नियम 11 सी.पी. सी. का पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर वन विभाग की ओर से क्षैत्रिय वन अधिकारी रैन्ज गढ़ी उपस्थित हुए। वन विभाग को जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि न्यायालय में पारित डिकी [illegible] प्रार्थीगण का वाद स्वीकार कर मौजा लोहारिया का हाल नवसृजित राजस्व [illegible] पटवार हल्का लोहारिया के हाल सर्वेनम्बर 78/8200 रकबा 1.28 है0 भूमि वादी [illegible] के खाते में दर्ज की जाने एवं राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्ती की जाने हेतु [illegible] की गई है। ग्राम [illegible]वाडा, पटवार मण्डल लोहारिया में जमाबंदी अनुसार खाता सं. 461 के हाल सर्वे नम्बर [illegible] 8200 रकबा 7.30 है0 किस्म वन विभाग, खातेदार वन विभाग हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज रिकार्ड है। उक्त डिकी होने के पश्चात आज दिनांक तक वादी के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वन विभाग के नीम, कन्जेडा,

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:46:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

रोजडा व खेर के वृक्ष मौके पर स्थित होना बताते हुए जवाब मय ग्राम मोटावाडा की जमाबंदी संवत् 2075 से 78 पेश की।

तहसीलदार, गढ़ी की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमि वनविभाग के नाम दर्ज रिकार्ड होकर वनविभाग का कब्जा है तथा वन विभाग के पेड लगे हुए है। अतः ईजराय प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को सरे ईजराय सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:46:44 IST
Reason: SelfAttested